**<u>कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित दिनांक 07.03.2013 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>**

**(क) और (ख):** जी, हां। कंपनी विधेयक, 2012 में (खंड 135 में) यह प्रावधान शामिल है कि (i) 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवल मूल्य; या (ii) 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक के टर्नओवर; या (iii) एक वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवल लाभ वाली कंपनियों द्वारा कंपनी के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) नीति के अनुसरण में (पिछले तीन वर्षों के) औसत निवल लाभ का न्युनतम 2% सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करना होगा और ऐसा न होने की स्थिति में बोर्ड के रिपोर्ट में ऐसी राशि व्यय न करने का कारण स्पष्ट भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या – 153**

(जिसका उत्तर गुरुवार, 7 मार्च, 2013/16 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

**<u>कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व</u>**

***153. श्री पन्ना लाल पुनिया :**
**श्री जयंत चौधरी :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कंपनियों द्वारा आरंभ की गई कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों में पारदर्शिता लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कारपोरेट कंपनियों द्वारा दान में दी गई धनराशि को उनकी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल माना जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत धनराशि के उपयोग को विनियमित करने हेतु एक बोर्ड गठित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत धनराशि के प्रावधान का प्रचार करने का आदेश देने का भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

## उत्तर

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
## (श्री सचिन पायलट)

**(क) से (ड.) :** एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

*****

करना होगा। उपर्युक्त वर्ग में आने वाली प्रत्येक कंपनी से अपनी सीएसआर नीति के कार्यान्वयन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए औसत निवल लाभों का 2% प्रति वर्ष व्यय करना अपेक्षित है।

**(ग):** कंपनी विधेयक, 2012 के खंड 135 में यथासंदर्भित अनुसूची-VII में कंपनियों द्वारा सीएसआर गतिविधि में शामिल गतिविधियों की सूची दी गई है।

**(घ):** जी, हां। (i) उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर में यथासंदर्भित कंपनी विधेयक, 2012 के खंड 135 में बोर्ड के सीएसआर समिति के गठन का प्रावधान है।

(ii) सीएसआर समिति से निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं:

(क) सीएसआर नीति बनाना और बोर्ड को इसकी अनुशंसा करना जिसमें कंपनी द्वारा की जाने वाली अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट गतिविधियां दर्शायी जाएंगी;

(ख) खंड (क) में संदर्भित गतिविधियों पर होने वाले व्यय की राशि की अनुशंसा करना; तथा

(ग) कंपनी के कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना।

**(ड.):** बोर्ड के प्रतिवेदन के भाग के रूप में सीएसआर नीति और उसके तहत गतिविधियों के प्रकटीकरण हेतु प्रारूप विधेयक के लागू होने पर बनाए गए नियमों में विहित की जाएंगी।

*****